न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 92/11 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. घीसाराम पुत्र दीपचन्द जाति अहीर

2. पप्पूराम पुत्र दीपचन्द जाति अहीर

3. माया पत्नी भरतसिंह जाति अहीर निवासीयान ग्राम कारोडा तहसील बहरोड जिला अलवर ।

अपीलांटस

बनाम

1 रामचन्द्र पुत्र श्योनारायण जिाति अहीर निवासी कारोडा तह0 बहरोड जिला अलवर राजस्थान

:–– असल रेस्पो0

2. दीनदयाल पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर

3. सुमराम पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर निवासीयान कारोडा तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

4 पंजाब नेशनल बैंक शाखा बहरोड जर्ये शाखा प्रबन्धक

:––––– तरतीबी रेस्पो0

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, बहरोड

दिनांक 25.5.2011

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– सुश्री सुषमा शर्मा

2. वकील असल रेस्पो0 :– श्री अनिलकुमार गुप्ता

निर्णय दिनांक 4.12.17

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, बहरोड द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 37/2005 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 25.5.2011 के खिलाफ है, जिसके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 34, 449, 716, 460, 461, 464, 685, 1116, 717 वाके ग्राम कारोडा तहसील बहरोड की स्थिति ताफैसला मूल वाद यथावत बनाये रखने के आदेश दिये गये थे । जिसके खिलाफ यह अपील है ।

2 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजी का अपीलांटान के पिता दीपचन्द एवं असल रेस्पो0 के मध्य पारस्परिक विभाजन सम्वत 2016 में हो चुका है और उसके अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन चला आ रहा है । साबिक एवं हाल रिकार्ड से असल रेस्पो0 का पक्ष साबित नहीं है । विवादित आराजी के कौनसे खसरा नम्बर में असल रेस्पो0 का रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा मिला हुआ है, का स्पष्ट अंकन नहीं किया गया है । विवादित आराजी खसरा नम्बर 1116 रकबा 45 एयर पर हम अपीलांटान को बंदोबस्त विभाग ने एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी दी है । आराजी खसरा नम्बर 460 अपीलांटा संख्या 03 माया ने खरीद किया है । आराजी खसरा नम्बर 463 में 1/2 भाग असल रेस्पो0 का एवं 1/2 भाग हम अपीलांटान का है । असल रेस्पो0 ने अपना इस 1/2 भाग का बेचान हमको कर दिया । परन्तु उसने अभी बयनामा हमारे नाम नहीं कराया । जबकि सम्पूर्ण भूमि पर हम काबिज है । हमारे मकानात बने हुये हैं । हम विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार है । कानूनन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अभिलिखित खातेदार को टी0 आई0 से पाबन्द नहीं किया जा सकता । परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया और गलत तौर पर हमको टी0 आई0 से पाबन्द कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

3 विद्वान वकील असल रेस्पो0 का कथन है कि विवादित भूमि में हमने मकानात बना रखे हैं । शोर उर्जा संयंत्र लगा रखा है । मुर्गी फार्म खोल रखा है । इन सबसे साबित है कि विवादित भूमि पर हमारा ही कब्जा है ।तहत न्यायालय के स्थगन के बावजूद अपीलांट ने आराजी खसरा नम्बर 460 का 1/2 भाग तथा 461 का 1/2 भाग जरिये इकरारनामा राजकपूर वगैरा को बेचान कर दिया तथा आराजी खसरा नम्बर 463 में स्थित कुयें पर लगे हुये बिजली कनेक्शन को आराजी खसरा नम्बर 462 में अपनी मर्जी से स्थानांतरित कर दिया । इसकी शिकायत मैंने पुलिस विभाग में दर्ज कराई है । मैंने घोषणात्मक एवं तकसीम का दावा पेश कर रखा है । विवादित आराजी के सम्बन्ध में मेरे एवं इनके बीच पंजीकृत तबादला हुआ है । मेरे एवं इनके पिता के बीच जो अपंजीकृत इकरारनामा तबादला आराजी हुआ है, उन खसरा नम्बरों की बाबत माननीय उच्च न्यायालय राज0 जयपुर में प्रकरण लम्बित है, जिसमें स्थगन जारी किया हुआ है । धारा 212 के तीनो बिन्दू मेरे पक्ष में साबित है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थगन जारी किया हुआ है । इन सब की दृष्टि से मैं अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी हूं । तहत न्यायालय ने सही तौर पर टी0 आई0 जारी की है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे । विद्वान वकील अस्सल रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन में 2012 आर0 आर0 डी0 पेज 523, 2002 आर0 आर0 डी0 पेज 81 का हवाला दिया ।

4 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्को पर गौर किया । विवादित आराजी की बाबत पक्षकारान के मध्य तबादलानामा हुआ अथवा नहीं, इस आराजी में किस पक्षकार का टाईटल बनेगा, इन सब बिन्दुओं का निर्धारण मूल वाद में तय होना है । हम यहां धारा 212 के प्रार्थना पत्र की अपील का निस्तारण कर रहे हैं । जिसके निस्तारण हेतु धारा 212 के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टतया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्तिजनक क्षति को देखना होता है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

चूंकि अप्रार्थीगण अपीलांटस विवादित भूमि के रिकार्डेड काबिज काश्तकार खातेदार है । इसलिये प्रथम दृष्टतया मामला प्रार्थी असल रेस्पो0 के पक्ष में साबित न होकर अप्रार्थीगण अपीलांटस के पक्ष में साबित है । अगर उनको, जो कि रिकार्डेड काबिज खातेदार है, टी0 आई0 से पाबन्द कर दिया जाता है तो उनको असुविधा होगी अर्थात सुविधा का सन्तुलन भी अपीलांटस के पक्ष में ही साबित है । टी0 आई0 की आड में अगर उनको आराजी में काश्त करने से रोका गया या आराजी के उपयोग उपभोग में व्यवधान पैदा किया गया तो अपीलांटस को नापूर्तिजनक क्षति होगी । इस प्रकार धारा 212 के तीनों बिन्दू प्रार्थी असल रेस्पो0 के पक्ष में साबित न होकर अप्रार्थीगण अपीलांटस के पक्ष में साबित है । परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया और अपीलांटस, जो कि विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार है, को टी0 आई0 से पाबन्द कर दिया ,जिसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता । उपरोक्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है ।

5 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.5.2011 निरस्त किया जाता है । चूंकि माननीय उच्च न्यायालय राज0 जयपुर ने विवादित आराजीयात में से खसरा नम्बर 685, 1116, 716 पर स्थगन आदेश जारी किया हुआ है, जो अंतिम निस्तारण तक पूर्ववत रहेगा एवं उक्त उल्लेखित नम्बरों को खुर्दबुर्द न किया जावे ।

6 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner